<u>प्रेस नोट दिनांक : 11.09.2026</u>

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सीज-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा पुलिस टीम द्वारा थाना कुण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 342/2026, धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/352/351(3)/132/121(2)/3(5) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त की तलाश/पतारसी-सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा भदरी बिहार रोड तिराहे के पास से अभियुक्त धर्मपाल पुत्र स्व0 मोतीलाल सरोज, निवासी ग्राम कबीरपुर पूरे मातादीन बिसहिया, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मोटरसाइकिल (स्प्लेंडर) बरामद हुई, उक्त मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज कर कब्जा पुलिस में लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.09.2026 की रात्रि में वह अपने साथियों के साथ दो मोटरसाइकिलों से चोरी करने के इरादे से निकला था। शाहजमालपुर नहर पुल के पास पुलिसकर्मियों द्वारा रोकने एवं पकड़ने का प्रयास किए जाने पर उनके द्वारा पुलिसकर्मी के सिर पर लोहे की चापड़ से हमला कर दिया गया तथा मौके से फरार हो गए।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- धर्मपाल पुत्र स्व0 मोतीलाल सरोज, निवासी ग्राम कबीरपुर पूरे मातादीन बिसहिया, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष।

बरामदगी-
01 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर।

पुलिस टीम-
उ0नि0 दुर्गेश सिंह मय हमराह का0 उमाशंकर भारती, रि0का0 प्रतीक यादव, का0 गजेन्द्र सिंह, का0 मंदीप सिंह थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देल्हूपुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में वांछित

अभियुक्त की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर धारा 137(2)/87 बीएनएस, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शनि गौतम पुत्र रामकुमार गौतम, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम दिवैनी, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ को रामफल ई-नारी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- शनि गौतम पुत्र रामकुमार गौतम, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम दिवैनी, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
प्रभारी निरीक्षक वरुण कुमार सिंह मय हमराह का0 अतुल दूबे, का0 दिलीप यादव एवं का0 विकास यादव मय चालक मु0आ0 सन्तोष कुमार राय, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में पेंडिंग विवेचना/वांछित अभियुक्त की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर धारा 137(2)/87 बीएनएस, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सूरज यादव पुत्र मोतीलाल यादव, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम शेख मोहम्मद (शेखवापुर), थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ को कुसुवापुर हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- सूरज यादव पुत्र मोतीलाल यादव, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम शेख मोहम्मद (शेखवापुर), थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 रितेश कुमार राय मय हमराह का0 उपेन्द्र सिंह एवं रि0का0 धीरेन्द्र कुमार, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज, प्रतापगढ़ द्वारा जारी वारण्ट मु0नं0 24471/2021,धारा 323/504/506 भादवि, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त शैलेन्द्र सरोज पुत्र स्व0 रामनरेश सरोज, निवासी ग्राम कुन्दनपुर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-
1- शैलेन्द्र सरोज पुत्र स्व0 रामनरेश सरोज, निवासी ग्राम कुन्दनपुर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अमित कुमार चौहान मय हमराह का0 सोनू कुमार, रि0का0 अमन सिंह, रि0का0 अरविंद खरवार, म0का0 भूमि भारद्वाज, म0का0 अंशिका जायसवाल, म0का0 निकिता त्रिपाठी एवं सरकारी वाहन चालक रि0का0 नागेश राय, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो वायरल करने एवं धमकी देने के प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही कर चालान किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में अभियुक्त की तलाश/पतारसी-सुरागरसी में मामूर थे। इसी दौरान थाना कुण्डा पर अन्तर्गत धारा 296/356(2)/351(2) बीएनएस एवं धारा 67 आईटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त रवि विश्वकर्मा पुत्र अक्षय लाल विश्वकर्मा, निवासी ग्राम पुराना कुण्डा, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ को पकड़ा गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा वादिनी का पीछा कर अश्लील इशारे करने, सोशल मीडिया पर उसकी फोटो एडिट कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ जोड़कर वायरल करने तथा रिश्तेदारों में बदनाम करने व अभियुक्त द्वारा पुनरावृत्ति किए जाने से रोकने हेतु उसके विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय/उप जिलाधिकारी कुण्डा के समक्ष प्रेषित की गई।

गिरफ्तार/निरोधात्मक कार्यवाही किए गए अभियुक्त का विवरण-
1- रवि विश्वकर्मा पुत्र अक्षय लाल विश्वकर्मा, निवासी ग्राम पुराना कुण्डा, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह का0 भूपेन्द्र सिंह, रि0का0 धर्मराज साहनी, रि0म0का0 अंकिता चौधरी, रि0म0का0 रिया मोदनवाल एवं का0 अभिमन्यु सिंह चालक, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी पुलिस द्वारा मारपीट, बलवा एवं अन्य धाराओं के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 11.09.2026 को थाना पट्टी पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में देखभाल क्षेत्र/पेंडिंग विवेचना में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर धारा 3(5)/115(2)/352/351(3)/61(2)A/190/191(2)/191(3)/126(2)/109(1) बीएनएस, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता करमैता पत्नी स्व0 रामनरेश सरोज, निवासी ग्राम कुन्दनपुर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़, को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
1- करमैता पत्नी स्व0 रामनरेश सरोज, निवासी ग्राम कुन्दनपुर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अमित कुमार चौहान मय हमराह का0 सोनू कुमार, रि0का0 अमन सिंह, रि0का0 अरविंद खरवार, म0का0 भूमि भारद्वाज, म0का0 अंशिका जायसवाल, म0का0 निकिता त्रिपाठी एवं सरकारी वाहन चालक रि0का0 नागेश राय, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसपुर देवसरा पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में अभियुक्त की तलाश/पतारसी-सुरागरसी में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना आसपुर देवसरा के धारा 64(1)/75(2)/316(2)/352/351(3) बीएनएस व धारा 3(1)/3(1)ध/3(2)(VA)/3(2)(V) SC/ST Act से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शैलेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ राजन सिंह पुत्र विश्वसेन सिंह उर्फ देवेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी ग्राम आहोपुर, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष को चांदा बाजार से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- शैलेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ राजन सिंह पुत्र विश्वसेन सिंह उर्फ देवेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी ग्राम आहोपुर, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अखिलेश सिंह मय हमराह का0 शिवशंकर यादव, का0 शिवम सिंह एवं का0 विशाल सोनकर, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्ल्यू वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कुण्डा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारंटी के दौरान मा0 न्यायालय एस.सी./एस.टी. स्पेशल कोर्ट, प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू वारंट, धारा 147, 323, 504, 506, 427 भादवि व 3(1)(r)/3(1)(s)/3(2)(va) SC/ST Act, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 एनबीडब्ल्यू वारण्टी अभियुक्त अमित कुमार यादव पुत्र रामकृपाल यादव, उम्र करीब 21 वर्ष, नि0 ग्राम जिरगापुर, चौसा, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-अमित कुमार यादव पुत्र रामकृपाल यादव, उम्र करीब 21 वर्ष, नि0 ग्राम जिरगापुर, चौसा, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 मनोज राय मय हमराह रि0का0 पंकज भारती, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।